सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का आठवां सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का आठवें सत्र का प्रथम चरण गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2017 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' से आरम्भ हुआ तथा गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 2017 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। सत्र का द्वितीय चरण सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को आरम्भ हुआ तथा बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 29 मई, 2017 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
आठवां सत्र	25	फरवरी माह – 23, 27, 28 मार्च माह – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (शनिवार), 27, 28 व 30 अप्रैल माह – 24, 25 व 26

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2017 को सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा के सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखी गयी। दिनांक 27 फरवरी, 2017 को सदस्य श्रीमती अलका सिंह द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव का अनुमोदन सदस्य श्री रामलाल शर्मा ने किया। प्रस्ताव पर तीन दिन हुई चर्चा के पश्चात् 2 मार्च, 2017 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। वाद-विवाद में 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 27 फरवरी, 2017 को 10; 28 फरवरी, 2017 को 13 तथा 2 मार्च, 2017 को 7 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 20, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 8, बहुजन समाज पार्टी के श्री पूरणमल सैनी तथा एनयूजेडपी की श्रीमती कामिनी जिंदल ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेने वाली 6 महिला सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की 4, इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत एवं एनयूजेडपी की श्रीमती कामिनी जिंदल थीं।

उल्लेखनीय है कि माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने जब सदन में अभिभाषण आरम्भ किया तब संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिये जाने का आग्रह किया। तत्पश्चात् अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया। अभिभाषण के समय सदन में आसन को पुष्पों से सुसज्जित किया गया।

स्थान रिक्त होने की सूचना

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2017 को माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धौलपुर (राजस्थान) द्वारा सैशन प्रकरण संख्या: 36/2014–सरकार बनाम सत्येन्द्र वगैरह में श्री बी.एल. कुशवाह (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक–79) धौलपुर (जिला–धौलपुर) से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–120बी सहपठित धारा–302 के तहत आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। परिणामस्वरूप श्री बी.एल. कुशवाह (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक–79) धौलपुर (जिला–धौलपुर) से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्य को दोषसिद्धि की तिथि 8 दिसम्बर, 2016 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–8 के अन्तर्गत निरर्हित (Disqualified) किया जाकर उनकी राजस्थान विधान सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है, जिसके कारण राजस्थान विधान सभा में एक स्थान (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक–79) धौलपुर (जिला–धौलपुर) रिक्त हो गया है। सदन को यह भी सूचित किया गया कि इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 को करवा दिया गया है।

सभापति तालिका में मनोनयन

दिनांक 3 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के अन्तर्गत श्री जोगाराम पटेल को सभापति तालिका का सदस्य मनोनीत किया गया है।

शपथ/प्रतिज्ञान

दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती शोभारानी कुशवाह ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की।

बधाई संदेश

दिनांक 16 मार्च, 2017 को श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई देते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि 'माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2017 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल को प्रदेश में बालिका लिंगानुपात में हुई वृद्धि और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नवाचारों के लिए 'राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार' प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार–स्वरूप महिला एवं बाल विकास विभाग को एक लाख रुपये की नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री को राष्ट्रपति महोदय द्वारा 'राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित किये जाने पर मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ।'

शहीद दिवस पर शहीदों को नमन

दिनांक 23 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि यह सदन देश की आजादी के लिये ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आक्रामक तेवर अपनाने वाले

क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की शहादत को नमन करता है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में 23 मार्च, 1931 को सायंकाल 7.33 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजादी के दीवानों के इस बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। स्वतंत्रता के नायकों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देशवासियों में वैचारिक क्रांति का शंखनाद किया, ताकि देश आजाद हो सके और भारतवासी एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से देश की आजादी के लिये प्राणोत्सर्ग करने वाले अमर शहीदों की शहादत को नमन करता हूँ।''

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

दिनांक 30 मार्च, 2017 को श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री मदन राठौड़, सरकारी उप मुख्य सचेतक ने प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत इस आशय का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दिनांक 28 मार्च, 2017 को आसन द्वारा फ्रीज की गयी सदन की कार्यवाही को श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेस मीडिया के समक्ष चर्चा किया जाना विशेषाधिकार हनन की परिधि में आता है। इस पर निम्नांकित सदस्यों ने विचार व्यक्त किये –

1. श्री अरुण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,
2. श्री जोगाराम पटेल,
3. श्री नरपत सिंह राजवी,
4. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा,
5. श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री,
6. श्री घनश्याम तिवाड़ी,
7. श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री व
8. श्री श्रवण कुमार।

तत्पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि प्रतिपक्ष के द्वारा भी इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे भी वे सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि वह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आज समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का अधिकार सम्माननीय अध्यक्षजी को है। वह इस पर जो भी निर्णय लेंगे, उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा।

अग्रेतर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि 'संसदीय कार्य मंत्री व सरकारी उप मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर तकरीबन सारी बातें कह दी गयी हैं। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दूँगा तथा इस इश्यू को हम डिसिप्लिंड वे से कनक्लूड करना चाहते हैं। यह किसी व्यक्तिगत आक्षेप के अलावा इस सदन के डिसिप्लिन और सदन के करेक्टर से

भी रिलेटेड है। इस सम्बन्ध में जल्दबाजी करना उचित नहीं है। आसन को भी समय चाहिये और आसन उचित निर्णय लेगा, मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ।'

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. दिनांक 1 मार्च, 2017 को प्रश्नकाल आरम्भ होते ही श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सचेतक, इनेकां द्वारा सूचीबद्ध प्रश्नों को स्थगित किये जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों सहित प्रतिपक्षी सदस्यों के सदन के वैल में आकर लगातार नारेबाजी किये जाने से सदन में अव्यवस्था एवं व्यवधान व्याप्त हो गया। इस पर सदन की बैठक 12.00 तक के लिए स्थगित की गयी। इसके पश्चात् भी व्यवधान जारी रहने पर 12.15 बजे सदन की बैठक अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।

2. दिनांक 24 मार्च, 2017 को डॉ. किरोड़ी लाल, सदस्य द्वारा प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत बोलने की अनुमति नहीं दिये जाने के मुद्दे पर सदन में लगातार घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न हो गया जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक 1.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

3. दिनांक 30 मार्च, 2017 को श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य के शून्यकाल में श्री रमेश, सदस्य द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की अनुमति आसन द्वारा नहीं दिये जाने के विरोध में इनेकां के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर कार्यवाही को लगातार बाधित किये जाने के कारण सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न हो गया जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी। बैठक समवेत् होने पर व्यवधान जारी रहने के कारण सदन की बैठक पुनः आधे घण्टे के लिए स्थगित की गयी।

4. दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को शून्यकाल में इनेकां के सदस्यों द्वारा प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में सदन के वैल में आकर लगातार नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की गयी। इसी दिवस श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा', सदस्य द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सम्बन्ध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने के कारण सदन में व्यवधान उपस्थित हुआ जिसके कारण सदन की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की गयी।

5. दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को सरकार द्वारा खासा कोठी व आनन्द भवन को कथित रूप से निजी हित में बेचे जाने के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष को अपने विचार व्यक्त नहीं करने देने के विरोध में इनेकां के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी करने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की गयी। बैठक पुनः समवेत् होने पर व्यवधान जारी रहा तथा बैठक एक–एक घण्टे के लिए दो बार और स्थगित हुई।

6. दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को माननीय अध्यक्ष की बिना अनुमति के प्रश्न संख्या 553 पर श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये माननीय अध्यक्ष पर दबाव बनाये जाने की नीयत से सीट पर खड़े होकर जोर–जोर से बोलने लगे। इसके उपरांत प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर शोर–शराबा एवं नारेबाजी करने से सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण सदन की बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की गयी। इसके पश्चात् भी व्यवधान जारी रहने के कारण सदन की बैठक आधे–आधे घण्टे के लिए दो बार और स्थगित की गयी।

बहिर्गमन

दिनांक 24 मार्च, 2017 को प्रश्न संख्या 407 का मंत्री द्वारा लम्बा उत्तर दिये जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

व्यवस्था का प्रश्न

1. दिनांक 10 मार्च, 2017 को श्री घनश्याम, सदस्य, विधान सभा द्वारा होली खेलकर सदन में प्रवेश कर अपने स्थान पर बैठे रहने पर श्री मदन राठौड़, सरकारी उप मुख्य सचेतक ने आपत्ति प्रकट करते हुए सदन की गरिमा बनाये रखने के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष से व्यवस्था दिये जाने हेतु निवेदन किया। माननीय उपाध्यक्ष ने इसके सम्बन्ध में व्यवस्था दी– 'सदन माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे सभा में व सभा के बाहर आचरण का एक निश्चित स्तर बनाये रखें, उनका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिये, जिससे सदन तथा उसके सदस्यों की गरिमा बढ़े। सदस्यों का आचरण प्रथाओं के प्रतिकूल अथवा सभा की प्रतिष्ठा के विपरीत नहीं होना चाहिये, जिसकी आशा सदन अपने सदस्यों से करता है।

   माननीय सदस्यगण सदन में प्रवेश करते समय सदन की परम्पराओं एवं सदस्य द्वारा पालनीय नियमों का पालन करें। राजस्थान विधान सभा में यह प्रथम अवसर है, जबकि श्री घनश्याम, सदस्य द्वारा होली के रंग लगाकर सदन में प्रवेश किया गया है और वे सदन में बैठे हैं। उनका यह आचरण सदन की गरिमा व शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। अत: माननीय सदस्य कृपया सदन की गरिमा व पालनीय नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए सदन से बाहर जाकर दूसरे वस्त्र पहनकर पधारें।'

2. दिनांक 20 मार्च, 2017 को माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदान की मांगों पर सदन में कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी कि 'अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिया जाता है कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिये उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य

सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिये आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।'

3. दिनांक 22 मार्च, 2017 को आसन द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर व्यवस्था दी गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उन सदस्यों के सम्बन्ध में जो मंत्री के उत्तर के समय अनुपस्थित रहते हैं, व्यवस्था दी कि 'जो सदस्य आज अनुदान की मांग पर अपना विवेचन प्रस्तुत करेंगे, अगर वो मंत्री के उत्तर के समय सदन में अनुपस्थित रहे, तो आसन दुबारा इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में उन्हें इजाजत नहीं देगा।'

इसी दिवस मंत्रीगण के अतिरिक्त अन्य को अधिकारी दीर्घा में जाकर वार्ता करने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी कि 'ऑफिसर गैलेरी पर सिर्फ मंत्रिमण्डल के सदस्य ही ऑफिसर से वार्तालाप कर सकते हैं, अन्य सदस्यों को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह नियम विरुद्ध है। कई बार देखा गया है कि सामान्य सदस्य भी ऑफिसर गैलेरी में जाकर वार्तालाप करते हैं। कृपया इसको ध्यान में रखें और ऐसा न करें।'

मांगों के समय लिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गयी कि 'अनुदान की मांगों पर वाद–विवाद में कोई कागज, कोई वक्तव्य टेबल नहीं हो सकता है, 15 मार्च, 2016 को भी इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। प्रतिपक्ष के सचेतक और मुख्य सचेतक जितने सदस्यों के नाम मांगों पर चर्चा के लिये आसन के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूची में सम्मिलित करेंगे, उन्हें चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर दिया जाएगा, परन्तु सदस्य द्वारा लिखित वक्तव्य टेबल नहीं होगा।'

4. दिनांक 28 मार्च, 2017 को श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत पूर्व जलदाय मंत्री पर जैसे ही आरोप लगाने खड़े हुए, तत्समय श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रक्रिया के नियम 273 में प्रावधान किये गये हैं कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या

अपराधरोपक प्रकृति का आरोप नहीं लगाएंगे, जब तक कि सदस्य ने सम्बन्धित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो, यह जिम्मेदारी सदस्य की है। आसन पहले यह सुनिश्चित कर ले कि क्या माननीय मंत्री को पूर्व सूचना सदस्य की ओर से प्रेषित की गयी और माननीय मंत्री ने प्राप्त कर ली। इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी कि प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत वर्बेटम फ्रीज रहेगा। 'We will freeze the verbatim. The verbatim will become official once the receipt has been tabled on the next working day.'

5. दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित किये जाते समय श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि 'इसी सत्र में नगरपालिकाओं से सम्बन्धित चार विधेयक हैं। नगरपालिका का तो एक ही विधेयक है, उसमें चार छोटे–छोटे संशोधन हैं, जो एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनको अलग–अलग लाया गया है, जो उचित नहीं है और सदन की परम्पराओं के खिलाफ है। नगरपालिकाओं के जो चारों विधेयक हैं, वे एक–दूसरे पर अवलम्बित हैं और जब तक यह बिल यहां से पास होकर नहीं चला जाए और राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो जाएं, तब तक उससे जुड़े हुए तीन जो छोटे–छोटे अमैंडमेंट हैं, वे पारित नहीं किये जा सकते।

इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज में एक अमैंडमेंट है, उसके लिये अलग–अलग बिल लाये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का केवल एक क्लॉज हमको इसमें डालना है, उसके लिए अलग–अलग बिल लाना उचित नहीं है। एक बिल के अन्तर्गत ही जिस बिल के लिए सैक्शन में सुधार करना हो, उसको लाया जा सकता है। जिस प्रकार से फाइनेंस बिल हम लाते हैं, तो जितने कानूनों में संशोधन होते हैं, उसका एक कानून लेकर आते हैं। विश्वविद्यालयों के 13 बिल अलग–अलग रखेंगे, अलग–अलग पास कराएंगे, जबकि अमैंडमेंट एक है। इसमें सदन का समय व्यर्थ होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन विषयों पर आपको कुछ निर्देश जारी करना चाहिये।'

श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'विश्वविद्यालय के जितने भी बिल हैं, इसी सदन में इन बिलों को अलग–अलग रूप से पारित किया गया था। यह बात सही है कि इसमें अमैंडमेंट सिर्फ एक ही है, कॉमन है और वो भी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो अमैंडमेंट किया 2013 में, उसको लागू करने के लिये है। इसको वैसे भी लाया जा सकता था, पर अगर ये अलग–अलग होकर आये तो ऐसी कोई बेजा बात नहीं हुई। हां, यह भी संभव था कि एक बिल में करके और सारे जितने यूनिवर्सिटीज के नाम लिखा कर कह देते, इसमें इतने–इतने में अमैंडमेंट हैं। भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।'

इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि 'जो आपका सुझाव था, वह अपनी जगह किसी हद तक ठीक है। आसन सिर्फ इतना निर्देश दे सकता है कि आइन्दा इन चीजों का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए।'

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 145 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 8370 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये । प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 3674 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 547 तारांकित प्रश्न, प्रश्न–सूची में सूचीबद्ध हुए । 48 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40–40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 5 सदस्यों ने 39–39, 7 सदस्यों ने 38–38 तथा शेष 85 सदस्यों ने 36–36 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती सोना देवी, श्रीमती कामिनी जिंदल, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती द्रोपती एवं डॉ. मंजू बाघमार ने सर्वाधिक 40–40 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 12 प्रश्न श्री जगदीश नारायण, 11 प्रश्न श्री हमीर सिंह भायल तथा 10–10 प्रश्न श्री फूलसिंह मीणा, श्री भंवर सिंह तथा श्री जोगाराम पटेल के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती अनीता के 9 तथा श्रीमती शकुन्तला रावत एवं राजकुमारी दिया कुमारी के 6–6 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 4696 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 604 प्रश्न, प्रश्न सूची में सूचीबद्ध हुए। 38 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 60–60 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 5 सदस्यों ने 59–59, 2–2 सदस्यों ने 58–58 एवं 57–57 तथा शेष 98 सदस्यों ने 56 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती कामिनी जिंदल, डॉ. मंजू बाघमार, श्रीमती द्रोपती एवं श्रीमती सोना देवी ने सर्वाधिक 60–60 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 20 प्रश्न श्री रमेश तथा 19 श्री घनश्याम तिवाड़ी के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती संजना आगरी एवं डॉ. मंजू बाघमार के सर्वाधिक 14–14 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

विभागवार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 273 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 269 प्रश्न शिक्षा विभाग, 266 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 233 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 205 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 31 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 30–30 प्रश्न खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं खान विभाग, 29 प्रश्न महिला एवं बाल विकास विभाग तथा 24 प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 352 प्रश्न शिक्षा विभाग, 301 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 276 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 250 प्रश्न ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 41 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 32 प्रश्न गृह विभाग, 31 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 28 प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाए तो आठवें सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 2659 तारांकित प्रश्नों में से 422 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 604 में से 44, निर्दलीय सदस्यों के 230 में से 34, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 43 में से 14, बहुजन समाज पार्टी के 76 में से 8 तथा एनयूजेडपी के 80 में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 3317 प्रश्नों में से 438 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 790 में से 89, निर्दलीय

सदस्यों के 254 में से 36, बहुजन समाज पार्टी के 70 में से 7, एनयूजेडपी के 120 में से 12 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों के 145 में से 22 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाए तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 483 तारांकित प्रश्नों में से 66 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 679 अतारांकित प्रश्नों में से 103 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 3191 तारांकित प्रश्नों में से 481 तथा 4017 अतारांकित प्रश्नों में से 501 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 325 तारांकित प्रश्नों में से 45 तथा 426 अतारांकित प्रश्नों में से 72 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी के 11 में से 3 तारांकित तथा 73 में से 14 अतारांकित प्रश्न तथा एनयूजेडपी के 80 में से 7 तारांकित तथा 120 में से 12 अतारांकित तथा निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 29 तारांकित में से 5 एवं 11 अतारांकित में से 4 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत द्वारा प्रस्तुत 38 तारांकित में से 6 तथा प्रस्तुत 49 अतारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ।

सत्र में सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 113 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 8–8 प्रश्न 20 व 28 मार्च, 2017 को तथा 7–7 प्रश्नों पर 10 व 27 मार्च एवं 24 अप्रैल, 2017 को चर्चा हुई। दिनांक 1 मार्च, 2017 तथा 26 अप्रैल, 2017 को एक–एक प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

आठवें सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 26 माननीय सदस्यों के 149 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी, इनमें से 75 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गयी। 75 स्थगन प्रस्तावों पर सदस्यों को 2 मिनट बोलने का अवसर दिया गया। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 15 सदस्यों ने 83 प्रस्ताव, 6 निर्दलीय सदस्यों ने 30 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के 2 सदस्यों ने 22 प्रस्ताव, एनयूजेडपी के दो सदस्यों ने 5 प्रस्ताव तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के एक सदस्य ने 9 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत ने 15 प्रस्ताव, निर्दलीय श्रीमती अंजू देवी धानका ने 4 प्रस्ताव, नेशनल पीपुल्स पार्टी की श्रीमती गीता वर्मा ने 2 तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी एवं श्रीमती कामिनी जिंदल ने क्रमशः 2 एवं 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। श्री सुखराम विश्नोई एवं श्रीमती शकुन्तला रावत ने सर्वाधिक 15–15 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। श्री हनुमान बेनीवाल ने 13 एवं श्री पूरणमल सैनी ने 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। दो सदस्यों ने 10–10 प्रस्ताव प्रस्तुत किये तथा शेष 20 सदस्यों ने 9 अथवा इससे कम प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

सत्र में 108 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 248 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 106 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 142 सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया। दो सूचनाओं पर सम्बन्धित माननीय मंत्री ने अभ्युक्ति दी।

प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 81 सदस्यों ने 178, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 15 सदस्यों ने 37, 5 निर्दलीय सदस्यों ने 15, बसपा के दो सदस्यों ने 4, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 3 सदस्यों ने 6 तथा एनयूजेडपी के 2 सदस्यों द्वारा 8 सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत सूचनाओं में से 45 सूचनाएँ 19 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 13 सदस्याओं ने 25 सूचनाएँ, एनयूजेडपी की दो सदस्याओं ने 8 सूचनाएँ, नेशनल पीपुल्स पार्टी की दो सदस्याओं ने 3 तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत एवं निर्दलीय सदस्य श्रीमती अंजू देवी धानका ने क्रमशः 5 एवं 4 सूचनाएं प्रस्तुत कीं। महिलाओं में सर्वाधिक 6 सूचनाएँ एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी ने कीं। 5-5 सूचनाएँ भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती द्रोपती तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने प्रस्तुत कीं। पुरुष सदस्यों में भाजपा के सर्वश्री संदीप शर्मा, जगदीश नारायण, हीरालाल, भागीरथ चौधरी, इनेकां के श्री भंवर सिंह तथा निर्दलीय श्री हनुमान बेनीवाल ने सर्वाधिक 5-5 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं। 11 सदस्यों ने 4-4, 21 सदस्यों ने 3-3, 28 सदस्यों ने 2-2 तथा शेष 39 सदस्यों ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सत्र में पर्ची के माध्यम से 56 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 84 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गयी जिनमें से एक विषय पर एकाधिक मंत्रियों द्वारा कुल 90 अभ्युक्तियां दी गयीं। भारतीय जनता पार्टी के 47 सदस्यों ने 70 विषय, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 6 सदस्यों ने 10 विषय, दो निर्दलीय सदस्यों ने 3 विषय तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री पूरणमल सैनी ने एक विषय उठाया। 7 महिला सदस्यों द्वारा 7 विषय सदन में उठाये गये। भारतीय जनता पार्टी की पाँच महिला सदस्यों ने 5 विषय तथा निर्दलीय श्रीमती अंजू देवी धानका एवं इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने एक-एक विषय उठाया। सर्वाधिक 5 विषय श्री कैलाश चौधरी तथा 4 विषय श्री नाना लाल अहारी ने उठाये। चार सदस्यों द्वारा 3-3, 13 सदस्यों द्वारा 2-2 तथा शेष 37 सदस्यों द्वारा एक-एक विषय उठाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आठवें सत्र में 11 सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 13 मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इन विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्यों ने 11, एक निर्दलीय सदस्य तथा एक एनयूजेडपी के सदस्य द्वारा एक-एक प्रस्ताव दिया गया। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में से दो महिला सदस्य थीं। दो सदस्यों ने दो-दो तथा शेष 9 सदस्यों ने एक-एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सर्वाधिक दो-दो प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं श्री ज्ञानचन्द पारख ने प्रस्तुत किये।

आधे घण्टे की चर्चा

सत्र में दिनांक 27 मार्च, 2017 को श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य ने 'मूण्डवा (नागौर) में सीमेण्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिए एम.ओ.यू.' विषयक

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (1092/उद्योग) का उत्तर, जो दिनांक 27 फरवरी, 2017 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी। श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 40 सदस्यों ने 66 याचिकाओं का सदन में उपस्थापन किया। भारतीय जनता पार्टी के 32 सदस्यों ने 52, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 4 सदस्यों ने 5, दो निर्दलीय सदस्यों ने 5 तथा बहुजन समाज पार्टी के श्री मनोज कुमार तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी ने दो-दो याचिकाओं का उपस्थापन किया। 8 महिला सदस्यों ने 10 याचिकाएं उपस्थापित कीं। याचिका उपस्थापित करने वाली महिला सदस्यों में से 6 भारतीय जनता पार्टी तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी एवं इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत थीं। श्री भैराराम चौधरी ने सर्वाधिक 6 याचिकाएं उपस्थापित कीं। एक-एक सदस्यों ने 5, 4 एवं तीन याचिकाएं, 12 सदस्यों ने 2-2 तथा शेष 24 सदस्यों ने एक-एक याचिका उपस्थापित की।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

आठवें सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 36, राजकीय उपक्रम समिति के 19, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के 11, कार्य सलाहकार समिति के 7, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के 3, याचिका समिति के 2 तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, पर्यावरण समिति, प्राक्कलन समिति 'क' एवं प्राक्कलन समिति 'ख' का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 3 मार्च, 2017 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री ने शिक्षा राज्य मंत्री को धमकी भरा पत्र मिलने तथा सवाई माधोपुर जिले के खण्डार क्षेत्र से गुमशुदा लड़की के प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1/17 पर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

दिनांक 23 मार्च, 2017 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री ने भरतपुर जिले के सेवर में पुलिस दबिश के दौरान कथित रूप से दो युवतियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' ने स्पष्टीकरण चाहा। गृह मंत्री ने उठाये गये मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया।

दिनांक 27 मार्च, 2017 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री ने सोजत में रामपुरा के बेरा सामसागर पर अज्ञात हमलावरों द्वारा पति-पत्नी की हत्या एवं जोधपुर में हरियाढाणा ग्राम में युवती की हत्या के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

दिनांक 28 मार्च, 2017 को श्री बाबूलाल वर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने श्रीगंगानगर जिले में राशन डीलरों द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

मंत्री पर आरोप

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 28 मार्च, 2017 को श्री रमेश, सदस्य ने प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री (पूर्व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री) के विरुद्ध आरोप लगाये। इसके पश्चात् श्रीमती किरण माहेश्वरी ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का उत्तर दिया।

खेद प्रकटन

दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा', सदस्य ने दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर के लिए सदन में उनके द्वारा की गयी टिप्पणी पर खेद प्रकट करते हुए क्षमायाचना की।

सदस्यों का निलम्बन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'आज दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को प्रात:काल प्रश्नकाल में जब प्रथम प्रश्न पर सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा जवाब दिये जाने के पश्चात् आप श्रीमान् द्वारा पूरक प्रश्न के समय सदस्यों के नाम पुकारे जा रहे थे, तब बिना कारण कांग्रेस दल के सदस्यों एवं उनके साथ श्री हनुमान बेनीवाल व श्री मनोज न्यांगली, सदस्यों ने भी सदन में शोर–शराबा प्रारम्भ कर दिया और सदन के वैल में आकर जोर–जोर से चिल्लाने लगे। आप द्वारा बार–बार उनको शांत रहकर सदन की कार्यवाही चलाने हेतु निर्देश दिया गया, आग्रह किया गया एवं उनको अपने–अपने स्थान पर बैठने की अपील की गयी तथा वैल को खाली करने हेतु आग्रह किया गया। इसके बावजूद भी वे नहीं माने एवं आसन के निर्देशों की बार–बार जानबूझकर विधि विरुद्ध अवहेलना की। यहां तक कि उन्होंने मंत्रियों के सामने बांहें चढ़ाईं। इन परिस्थितियों में सदन की कार्यवाही चलना असंभव हो गया। यह कृत्य विधान सभा एवं संसदीय परम्पराओं का खुला अवमान है। अत: निम्नांकित सदस्यों के गैर–मर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता करने के कारण मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन्हें इस सदन की सदस्यता से एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित किया जाए–

1. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा
2. श्री धीरज गुर्जर
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री मनोज न्यांगली
5. श्री घनश्याम
6. श्री अशोक
7. श्री सुखराम विश्नोई
8. श्री रमेश
9. श्री श्रवण कुमार
10. श्री भजनलाल
11. श्री मेवाराम जैन
12. श्रीमती शकुन्तला रावत
13. श्री हीरालाल दरांगी
14. श्री राजेन्द्र यादव

सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत निलम्बन का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।'

दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को सदस्यों के निलम्बन की अवधि में संशोधन हेतु श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार किया गया –

'माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 14 माननीय सदस्यों का निलम्बन आदेश किया गया था। लेकिन उसके पश्चात् दोनों पक्षों की बात हो गयी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के बीच में जिस तरह से बातचीत हुई है, उसके अनुसार मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सर्वश्री गोविन्द सिंह डोटासरा, धीरज गुर्जर, घनश्याम, अशोक, सुखराम विश्नोई, रमेश, श्रवण कुमार, भजनलाल, मेवाराम जैन, हीरालाल दरांगी, राजेन्द्र यादव तथा श्रीमती शकुन्तला रावत का जो निलम्बन एक वर्ष के लिए किया गया था, उसको संशोधित करते हुए एक दिन का ही निलम्बन आदेश करने का प्रस्ताव करता हूँ, इसे पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, केवल कांग्रेस पार्टी के जो 12 माननीय सदस्य हैं, उनका निलम्बन एक दिन का रखने हेतु प्रस्ताव पारित कराया जाए।'

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

आठवें सत्र में दिनांक 7 मार्च, 2017 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री ने वर्ष 2016–17 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 20 मार्च, 2017 को मुख बंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

(ख) आय–व्ययक अनुमान 2017–18

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2017 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य के आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2017–18 का उपस्थापन किया। आय–व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद–विवाद हुआ जिसमें 68 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । प्रथम दिन दिनांक 9 मार्च, 2017 को 15; 10 मार्च, 2017 को 14; 16 मार्च, 2017 को 26 तथा 17 मार्च, 2017 को 13 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। दिनांक 17 मार्च, 2017 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने चर्चा का उत्तर दिया। सामान्य वाद–विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 51, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 9, बसपा के 2, निर्दलीय 5 एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी के एक सदस्य ने भाग लिया। चर्चा में 7 महिला सदस्यों ने भाग लिया।

(ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ। शेष मांगों को 28 मार्च, 2017 को मुख बंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया।

मांग सं.	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
37	कृषि	20.03.2017	215	21
39	पशुपालन एवं चिकित्सा	20.03.2017	198	21
36	सहकारिता	20.03.2017	165	21
19	लोक निर्माण कार्य	21.03.2017	172	38
20	आवास	21.03.2017	76	38
21	सड़कें एवं पुल	21.03.2017	316	38
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	22.03.2017	319	27
06	न्याय प्रशासन	23.03.2017	113	28
16	पुलिस	23.03.2017	261	28
17	कारागार	23.03.2017	121	28
26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	24.03.2017	349	34
09	वन (पर्यावरण सहित)	25.03.2017	229	23
43	खनिज	25.03.2017	192	23
28	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	27.03.2017	201	20
49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	27.03.2017	77	20
27	पेयजल योजना	28.03.2017	314	58
46	सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)	28.03.2017	224	58

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

सत्र में दिनांक 21 मार्च, 2017 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें ।

(ख) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2017 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये–

1. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (वर्ष 2016 का अध्यादेश सं. 3)
2. भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (वर्ष 2016 का अध्यादेश संख्या 4)
3. राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2017 (वर्ष 2017 का अध्यादेश संख्या 1)

(ग) सत्र के दौरान पारित विधेयक

सत्र में निम्न विधेयक सदन में पुर:स्थापित व पारित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है –

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
1/2017	राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017	23.02.2017	03.03.2017	03.03.2017
2/2017	राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017	23.02.2017	03.03.2017	03.03.2017
3/2017	राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017	23.02.2017	06.03.2017	06.03.2017
4/2017	निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017	23.02.2017	03.03.2017	03.03.2017
5/2017	राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017	23.02.2017	06.03.2017	06.03.2017
6/2017	राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2017	20.03.2017	20.03.2017	20.03.2017
7/2017	राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2017	28.03.2017	30.03.2017	30.03.2017
8/2017	भारतीय कौशल विकास वि.वि. जयपुर विधेयक, 2017	27.02.2017	07.03.2017	07.03.2017
9/2017	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017	27.02.2017	07.03.2017	07.03.2017
10/2017	राजस्थान आई.एल.डी. कौशल वि.वि., जयपुर विधेयक, 2017	27.02.2017	07.03.2017	07.03.2017
11/2017	राजस्थान वित्त विधेयक, 2017	08.03.2017	30.03.2017	30.03.2017

12/2017	राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017	03.03.2017	25.04.2017	25.04.2017
13/2017	राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017	03.03.2017	25.04.2017	25.04.2017
14/2017	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
15/2017	राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
16/2017	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
17/2017	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
18/2017	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
19/2017	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
20/2017	कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
21/2017	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
22/2017	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
23/2017	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
24/2017	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
25/2017	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017	10.03.2017	24.04.2017	24.04.2017

26/2017	राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017	16.03.2017	24.04.2017	24.04.2017
27/2017	राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017	24.04.2017	25.04.2017	25.04.2017
28/2017	प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017	24.04.2017	25.04.2017	25.04.2017
29/2017	राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017	24.04.2017	26.04.2017	26.04.2017
30/2017	राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017	26.04.2017	26.04.2017	26.04.2017
31/2017	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017	25.04.2017	26.04.2017	26.04.2017
32/2017	राजस्थान नगरपालिका (पंचम संशोधन) विधेयक, 2017	25.04.2017	26.04.2017	26.04.2017
33/2017	राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017	26.04.2017	26.04.2017	26.04.2017
34/2017	राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017	26.04.2017	26.04.2017	26.04.2017

शोकाभिव्यक्ति

आठवें सत्र में सदन में निम्नांकित व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

क्र.	दिवंगत महानुभाव	पद	निधन तिथि
		23.02.2017	
1.	श्री सुरजीत सिंह बरनाला	पूर्व राज्यपाल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु एवं पूर्व मुख्य मंत्री, पंजाब	14.01.2017
2.	श्री रामनरेश यादव	पूर्व राज्यपाल, मध्य प्रदेश एवं पूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	22.11.2016
3.	श्री एस.के. सिन्हा	पूर्व राज्यपाल, जम्मू कशमीर एवं असम	17.11.2016
4.	सुश्री जे. जयललिता	पूर्व मुख्य मंत्री, तमिलनाडु	05.12.2016
5.	श्री सुन्दर लाल पटवा	पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	28.12.2016
6.	श्री रामदास अग्रवाल	पूर्व सांसद, राजस्थान	25.01.2017

7.	मोहम्मद अयूब खान	पूर्व सांसद	15.09.2016
8.	श्री जुझार सिंह	पूर्व सदस्य, 1, 3, 4 व 5वीं विधान सभा	01.12.2016
9.	श्री तगाराम चौधरी	पूर्व सदस्य, 12वीं विधान सभा	23.01.2017
10.	श्री बन्ने सिंह राठौड़	पूर्व सदस्य, 12वीं विधान सभा	25.11.2016
11.	श्री मोहन लाल मोदी	पूर्व सदस्य, 4, 7, 10 व 11वीं वि. सभा	07.02.2017
12.	श्री सालिगराम	पूर्व सदस्य, 6 एवं 9वीं विधान सभा	16.11.2016
13.	श्री थानसिंह मीणा	पूर्व सदस्य, 7 एवं 8वीं विधान सभा	04.08.2016
14.	श्री मदन महाराजा	पूर्व सदस्य, आठवीं विधान सभा	12.02.2017
15.	श्री भवानी सिंह यादव	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	19.12.2016
16.	श्री सांवरमल मोर	पूर्व सदस्य, पांचवीं विधान सभा	24.10.2016
17.	श्री रमेशचन्द्र सैनिक	पूर्व सदस्य, पांचवीं विधान सभा	03.10.2016
18.	श्री अमीलाल यादव	पूर्व सदस्य, चौथी विधान सभा	29.10.2016
19.	श्री लक्ष्मण तानीवाल	पूर्व सदस्य, चौथी विधान सभा	17.10.2016
20.	श्री शिवराम	पूर्व सदस्य, तीसरी विधान सभा	10.10.2016

21. इन्दौर–पटना एक्सप्रेस दुर्घटना, जगदलपुर–भुवनेश्वर हीराखण्ड एक्सप्रेस दुर्घटना एवं पटना के एनआईटी घाट के पास गंगा नदी में नाव दुर्घटना के मृतक तथा जम्मू–कश्मीर में गुरेज और सोनमर्ग के काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद हुए हिमस्खलन में सेना के मारे गये जवानों के प्रति संवेदना।

27.02.2017

22.	श्री ऋषिकेश मीणा	पूर्व सदस्य, आठवीं विधान सभा	07.07.2016

01.03.2017

23.	श्री पी. शिवशंकर	पूर्व राज्यपाल, केरल एवं सिक्किम	27.02.2017

09.03.2017

24.	श्री रवि राय	पूर्व अध्यक्ष, लोक सभा	06.03.2017

23.03.2017

25. यूनाइटेड किंगडम की संसद एवं वेस्टमिंस्टर पुल पर हुए आतंकी हमले के मृतकों के प्रति संवदेना।

24.03.2017

26.	श्री विद्यासागर	पूर्व सदस्य, 2, 4 व 5वीं विधान सभा	19.10.2016

30.03.2017

27.	श्री ललित सिंह शक्तावत	पूर्व सदस्य, 4 व 5वीं विधान सभा	27.03.2017

26.04.2017

28. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा किये गये हमले में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. के जवानों के प्रति संवेदना।

✧✧✧